रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 56] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 19, 1970/फाल्गुन 28, 1891

No. 56] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 19, 1970/PHALGUNA 28, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CUSTOMS

*New Delhi, the 19th March 1970*

G.S.R. 489.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25, read with sub-section (3) of section 160, of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and of all other powers hereunto enabling, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 151-Customs, dated the 6th December, 1956.

[No. 39/F. No. 5/94/69-Cus.I.]

J. DATTA, Dy. Secy.

## वित्त मंत्रालय

### (राजस्व और बीमा विभाग)

### अधिसूचना

### सीमा शुल्क

नई दिल्ली, 19 मार्च, 1970

**सा० का० नि० 489** :—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 160 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का एतदर्थ अपने को समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 151—सीमा शुल्क, तारीख 6 दिसम्बर, 1956, को एतद्द्वारा विखंडित करती है।

[सं० 39/एफ० सं० 5/94/69-सीमा शुल्क I]

जे० दत्त, उप सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970